6/9/2018

संख्याः-852/78-1-2018-45आई0टी0/2016

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1 समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश।
2 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3 समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4 प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, निकायों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 15 जून, 2018

विषयः भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15-11-2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 को उत्तर प्रदेश में अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

महोदय,

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 15 नवम्बर 2016 को "इण्डियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स 2016" निर्गत किये गये हैं जो देश में दूरसंचार के क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना एवं विकास हेतु समयबद्ध रूप से, राइट ऑफ वे अनुमोदन प्रदान किये जाने की प्रक्रिया से सम्बन्धित है।

2 भारत सरकार द्वारा निर्गत "भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016" के अध्याय 1 के प्रस्तर 4 उप-प्रस्तर (2) में निम्नवत् व्यवस्था हैः-

(2) समुचित प्राधिकारी आवेदन को प्रस्तुत करने के लिए इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर एक इलेक्ट्रानिक प्रक्रिया विकसित करेंगे।
परंतु यह कि राज्य सरकार स्वविवेकानुसार इसके नियंत्रणाधीन सभी समुचित प्राधिकारियों के लिए एक एकल इलेक्ट्रानिक आवेदन प्रक्रिया स्थापित कर सकेगी।

3 भारत सरकार की उक्त अधिसूचना के क्रम में नगर विकास अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश द्वारा भूमिगत तार और संरचना की स्थापना और रख रखाव (ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाने हेतु) के सम्बन्ध में उक्त नियमावली के प्रासंगिक शर्तो/ नियमों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु शासनादेश सं0-72/ नौ79-18- 161ज/12 दिनांक 08-02-2018 निर्गत किया गया है।

4 अतः भारत सरकार की उक्त अधिसूचना को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों इत्यादि द्वारा एकरूपता के आधार पर अंगीकृत किए जाने तथा मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए भूमिगत तार और संरचना तथा भूमि के ऊपर तार अवसंरचना/ मोबाईल टावर की स्थापना एवं रख रखाव के लिए उनकी अनुमतियों/अनापत्तियों तथा ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से आवेदनों की ऑन लाईन प्राप्ति एवं उनके समयबद्ध रूप से निस्तारण हेतु दिशा-निर्देश एतद्द्वारा निर्गत किये जाते हैं:-

ऑन लाईन आवेदन प्रक्रिया

5 दूरसंचार इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 15-11-2016 को उत्तर प्रदेश में अंगीकृत करते हुए प्रदेश शासन के विभागों/प्राधिकरणों/संस्थाओं/समितियों इत्यादि द्वारा मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए भूमिगत तार और संरचना तथा भूमि के ऊपर तार अवसंरचना/मोबाईल टावर की स्थापना एवं रख रखाव के लिए अनुमतियों/ अनापत्तियों हेतु एक ऑन लाईन आवेदन प्रक्रिया होगी।

'सिंगिल विन्डो क्लीयरेन्स'

6 इस ऑन लाईन आवेदन प्रक्रिया के लिए आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा एक ऑन लाइन पोर्टल विकसित कराया जायेगा जो 'सिंगिल विन्डो क्लीयरेन्स' के रूप में होगा तथा इसके माध्यम से आवेदन की प्रस्तुति एवँ उनका निस्तारण सम्बन्धित विभागों/प्राधिकरणों/संस्थाओं/समितियों इत्यादि द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

समयबद्ध रूप से किया जायेगा। आवेदन का प्रारूप आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न शासकीय विभागों/प्राधिकरणों/ संस्थाओं/ समितियों इत्यादि के परामर्श से निर्धारित किया जायेगा, तथा इसमें आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाली सूचनाओं/ अभिलेखों/अनापत्तियों को भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जायेगा।

नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु एकसमान रूप से लागू

7 मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए भूमिगत तार और संरचना तथा भूमि के ऊपर तार अवसंरचना/ मोबाईल टावर की स्थापना एवं रख रखाव के लिए जिन शासकीय विभागों/ प्राधिकरणों/ संस्थाओं/ समितियों इत्यादि की भूमि/भवन से सम्बन्धित कार्य किये जायेंगे, उनकी अनुमतियों/अनापत्तियों के लिए **ऑन लाईन आवेदन एवं उनके समयबद्ध निस्तारण की यह एकल प्रक्रिया** राज्य विधायिका द्वारा गठित समस्त विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, अन्य सांविधिक प्राधिकारियों तथा ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों/ पंचायतों, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, अन्य शासकीय विभागों इत्यादि पर **उनके सुसंगत नियमों के अन्तर्गत** एकसमान रूप से लागू होगी। वन विभाग, सिंचाई विभाग तथा राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तुत दिशा-निर्देशों के सन्दर्भ में जो प्रतिबन्ध सुझाये गये हैं, उन्हें उनके द्वारा आवेदक को प्रदान की जाने वाली अनुमतियों में प्रतिबन्धों के अन्तर्गत सम्मिलित किया जायेगा।

8 भारत सरकार की अधिसूचना में अधिनियम से सम्बन्धित परिभाषायें, स्थानीय प्राधिकारी आदि द्वारा नोडल अधिकारी नामित किया जाना, विवादों के समाधान, किए जाने वाले कार्य के परिणामस्वरूप होने वाले किसी नुकसान के पुनर्स्थापन , तथा समुचित प्राधिकारी द्वारा तार अवसंरचना के हटाये जाने या परिवर्तित किए जाने की प्रक्रिया हेतु व्यवस्था दी गई है तथा आवेदनों हेतु एक-समान शुल्क एवँ आवेदनों के निस्तारण हेतु समयबद्धता का निर्धारण किया गया है। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15-11-2016 के अध्याय-2 के प्रस्तर 6 (2) तथा अध्याय-3 के प्रस्तर 10 (3) में आवेदनों के निस्तारण हेतु निर्धारित, "आवेदन की तारीख से 60 (साठ) दिवसों से अनधिक की अवधि" को उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में "आवेदन की तारीख से 45 (पैंतालिस) दिवसों से अनधिक की अवधि" पढ़ा जाये। उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन प्रदेश शासन के सम्बन्धित विभागों/प्राधिकरणों/ संस्थाओं/ समितियों इत्यादि द्वारा सुनिश्चित किया जाना होगा।

9 नगर विकास अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 08-02-2018 के अन्तर्गत आच्छादित नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर, प्रदेश के अन्य क्षेत्रों हेतु राज्य विधायिका द्वारा गठित समस्त विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, अन्य सांविधिक प्राधिकारियों तथा ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों/ पंचायतों, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, अन्य शासकीय विभागों इत्यादि द्वारा, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15-11-2016 **(परिशिष्ट-1)** द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम 2016 को अंगीकृत करते हुए पूर्व में निर्गत शासनादेशों/ मार्गनिर्देशों/ नियमावलियों में आवश्यकतानुसार उपयुक्त संशोधन सुनिश्चित कराये जायेंगे।

10 उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने और उनका अनुरक्षण करने के लिए) सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 की अधिसूचना संख्या 1126/78-आईटी-1-2001-81इले-98-टीसी, दिनांक 03 नवम्बर 2001 तथा स्थानीय प्राधिकारियों की भूमि पर "ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने के लिए आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग की विज्ञप्ति संख्या 1508/ 78-आईटी- 1-2001, दिनांक 03 नवम्बर 2001 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को एतद्द्वारा अवक्रमित समझा जाये।

11 भारत सरकार द्वारा समय-समय पर भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियमों में किन्हीं संशोधनों के फलस्वरूप उक्त दिशा-निर्देशों को यथासमय संशोधित किया जायेगा।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्याः-852(1)78-1-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 समाज कल्याण आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2 कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4 प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
5 निजी सचिव, मा. उप मुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्री जी, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0।
6 निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री जी, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0।
7 निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
8 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश।
9 निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश।
10 प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
11 महालेखाकार, लेखा परीक्षा - प्रथम एवं द्वितीय कार्यालय, इलाहाबाद।
12 निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ।
13 गोपन अनुभाग-1
14 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।